रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226351
CG-DL-E-01042021-226351

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943**
No. 195] **NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, *2021*

(आयकर)

सा.का.नि. 246(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय- कर अधिनियम (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 44 कख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (आठवाँ संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962, - में

(क) नियम 6 छ में, उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(3) इस नियम के अधीन प्रस्तुत ऐसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट लेखापरीक्षक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित तथा सत्यापित करके लेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षक की पुनरीक्षित रिपोर्ट प्राप्त करके व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकेगा और सुसंगत निर्धारण वर्ष जिस के लिए यह रिपोर्ट उचित है, की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी, यदि उप-नियम (1) और (2) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया है जिसमें धारा 40 या धारा 43ख के तहत अननुजात की पुनर्गणना आवश्यक हो।";

(ख) परिशिष्ट II, में, प्रपत्र 3 गघ में,-

(i). भाग क में, खंड 8क के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात्

"8क क्या निर्धारिती ने धारा 115खक/115खकक/115खकख /115खकग /115खकघ के अधीन कराधान का विकल्प चुना है?"

(ii). भाग ख में, खंड 17 के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् :-

"17. जहां भूमि या भवन अथवा दोनों धारा 43गक या 50ग में निर्दिष्ट राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा, अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से कम प्रतिफल के लिए पूर्व वर्ष के दौरान स्थानांतरित की गई है, कृपया

संपत्ति का विवरण	प्राप्त या अर्जित प्रतिफल	निर्धारित या निर्धारणीय अंगीकृत मूल्य	क्या धारा 43 गक की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक या धारा 56 की उपधारा (2) के चौथे परंतुक के उपबंध लागू है? (हां/नहीं)

।":

(iii). खंड 18 में, उपखंड (गक) और (गख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

"(गक) धारा 115 खकग/115 खकघ के अधीन अवलिखित मूल्य में किया गया समायोजन (केवल निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए)……….

(गख) कारोबार या व्यवसाय की सदिच्छा को अपवर्जित मूल्य के कारण अमूर्त आस्ति को अवलिखित मूल्य में किया गया समायोजन……

(गग) …….अवलिखित मूल्य में किया गया समायोजित";

(iv). खंड 32 में, उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

(क) उपलब्ध सीमा के लिए निम्नलिखित रीति से अग्रिम हानि अथवा अवमूल्यन भत्ता लाने वाला विवरण :

क्रंम सं.	निर्धारण वर्ष	हानि/भत्ते की प्रकृति (रू. में)	लौटाई गई रकम*(रू. में)	धारा 115खकक/115 खकग/115खकघ के अधीन समस्त हानि / नामंजूर भत्ते	धारा 115 खकग/115 खकघ^ के अधीन कराधान के लिए विकल्प मद्दे अतिरिक्त अवमूल्यन के वापस करने के लिए समायोजन के रूप में रकम	निर्धारित रकम (सुसंगत आदेश का संदर्भ दें)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

*यदि निर्धारित अवमूल्यन कम है और अपील लंबित नहीं है तो निर्धारित करें।

^ केवल निर्धारण वर्ष 2021-22 में भरने हेतु।":

(v) खंड 36 का लोप किया जाएगा ।

[अधिसूचना सं. 28/2021/फा सं. 370142/9/2018-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सा.का.नि. 242 (अ) तारीख 31.3.2021 को किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2021

(INCOME-TAX)

G.S.R. 246(E).—In exercise of the powers conferred by section 44AB read with section 295 of the Income-tax Act (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby, makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.–

(1) These rules may be called the Income-tax (eighth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,-

(a) in rule 6G, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3) The report of audit furnished under this rule may be revised by the person by getting revised report of audit from an accountant , duly signed and verified by such accountant, and furnish it before the end of the relevant assessment year for which the report pertains, if there is payment by such person after furnishing of report under sub-rule (1) and (2) which necessitates recalculation of disallowance under section 40 or section 43B." ;

(b) in Appendix II, in Form 3CD,-

(i) in PART –A for clause 8A, the following clause shall be substituted, namely: -

"*8A Whether the assessee has opted for taxation under section 115BA/115BAA/115BAB/ 115BAC/115BAD?.*" ;

(ii) in PART-B, for clause 17,the following clause shall be substituted, namely:-

"17. Where any land or building or both is transferred during the previous year for a consideration less than value adopted or assessed or assessable by any authority of a State Government referred to in section 43CAor 50C,please

Details of property	Consideration received or accrued	Value adopted or assessed or assessable	Whether provisions of second proviso to sub-section (1) of section 43CA or fourth proviso to clause (x) of sub-section (2) of section 56 applicable? [Yes/No]

.'';

(iii) in clause 18, for sub-clauses (ca) and (cb), the following sub-clauses, shall be substituted namely:-

"(ca) Adjustment made to the written down value under section 115BAC/115BAD (for assessment year 2021-2022 only)……

(cb) Adjustment made to written down value of Intangible asset due to excluding value of goodwill of a business or profession…..

(cc) Adjusted written down value………";

(iv) in clause 32, for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

(a) Details of brought forward loss or depreciation allowance, in the following manner, to the extent available:

Serial Number	Assessment Year	Nature of loss/ allowance (in rupees)	Amount as returned* (in rupees)	All losses/allowances not allowed under section 115BAA/ 115BAC/115BAD	Amount as adjusted by withdrawal of additional depreciation on account of opting for taxation under section 115BAC/115BAD^	Amounts as assessed (give reference to relevant order)	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

*If the assessed depreciation is less and no appeal pending then take assessed.

^To be filled in for assessment year 2021-2022 only.'':

(v) clause 36 shall be omitted.

[Notification No. 28 /2021/F. No 370142/9/2018-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy Legislation)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 242 (E) dated 31.03.2021

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.04.01 22:44:52 +05'30'